न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 08 / 22 वर्ष 2022

जीसीएम संख्या :-2022 / 89

बउनवानीः-1. रामबिलास पुत्र गोपाल मीना निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा

2. रामस्वरूप पुत्र गोपाल मीना निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. नानगी पत्नि कल्याण मीना निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत महापुरा जरिये सरपंच,ग्राम पंचायत, महापुरा पं.स. चौथ का बरवडा

(निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 7 दिनांक 9.12.2021 द्वारा ग्राम पंचायत महापुरा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः-1. श्री रिषीराम मीना — वकील प्रार्थी

2. भवंर सिंह जादौन — वकील अप्रार्थी-1

-: निर्णय :- **दिनांक 20.7.2022**

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा के द्वारा जारी पटटा संख्या 7 निर्णय दिनांक 9.12.2021 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योकि दिनांक 9.12.2021 को बुक संख्या 27 पटटा संख्या 07 आवासीय भूमि का जो पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस स्थान का पटटा प्रार्थीगण के पिता गोपाल लाल मीना पुत्र फत्या मीना निवासी महापुरा के नाम दिनांक 10.6.1974 को जारी किया हुआ है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के संबंध मे मौखिक जॉच कर बिना कब्जे के ही विवादित पटटा जारी किया गया है तथा प्रार्थीगणों की आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही अवैध तरीके से विवादित पटटा अप्रार्थीया नानगी के पक्ष मे जारी किया गया है जबकि उक्त विवादित पटटे से संबंधित भूखण्ड पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है जो प्रार्थीगण के पिता गोपाल लाल के जीवन काल से ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा पटटे शुद्वा भूमि के चारो ओर प्रार्थीगणो ने बाड कर रखी है जिसमे प्रार्थीगणों का सामान रखा हुआ है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही है तथा उक्त पटटा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस, कब्जे की जॉच, पंचायत कोरम का प्रस्ताव इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यवाहिया ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित नही की गयी है। इ[illegible]वैधानिक रूप से जारी किया गया उक्त पटटा निरस्त किये जाने य[illegible] है। अवैध[illegible]क [illegible] से जारी किये गये पटटे को पंजीकृत हो जाने के उपरान्त भी [illegible]रस्त किया जा[illegible]कता है। आदेश जैर निगरानी की जानकारी प्राप्त होने दिनांक 29.4.22 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी [illegible]र मयाद निगरानी प्रस्तुत की गयी है। इसलिए निगरानी प्रा0[illegible] स्वीकार कर आदेश[illegible] निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार ओला
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 08/2022 उनवानी रामबिलास वगै बनाम नानगी वगै.)

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है। क्योकि मुझ अप्रार्थीया द्वारा विवादित भूखण्ड का पटटा बनवाने हेतु दिनांक 25.11.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत महापुरा के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रशासन गांवो के संघ अभियान मे पटटा चाहने बाबत प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा 7 दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया तथा आपत्ति नोटिस की अवधि पूर्व होने पर नक्शा मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तीन वार्ड पंचो की समिति बनाई गयी। वार्ड पंचो द्वारा मौका देखकर नक्शा मौका बनाकर दिनांक 4.12.2021 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर मुझ नानगी देवी के पक्ष में पटटा जारी करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए दिनांक 6.12.2021 को निर्णय पारित करते हुए 200/-रू शुल्क लेकर पंचायत नियम 157(1)के तहत संकल्प संख्या 9 दिनांक 6.12.2021 की अनुपालना में दिनांक 9.12.2021 को पटटा संख्या 07 जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। उक्त पटटा उप पंजीयक चौथ का बरवाडा के यहॉ सरपंच,ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा दिनांक 29.12.2021 को रजिस्टर्ड करवाया जा चुका है। उक्त पटटे की भूमि पर नानगी देवी का 10 वर्ष पूर्व बने प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का मकान तथा 50 वर्ष पूर्व के कच्चे चद्दर पोश मकान बने हुए है। विवादित स्थान पर प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है जहॉ तक प्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे जारी पटटा दिनांक 10.6.1974 का प्रश्न है तो उक्त पटटों से संबंधित कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी फर्जी पटटे आधार पर प्रार्थीया का विधिवत जारी पटटा खारिज नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पहुॅचता हूॅ कि ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा अप्रार्थीया नानगी देवी के पक्ष मे पटटा संख्या 07 दिनांक 9.12.2021 विधिवत कार्यवाही यथा आपत्ति नोटिस जारी कर, वार्ड पंचो से मौका निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट एवं नक्शा प्राप्त कर निर्धारित शुल्क वसूल करते हुए जारी किया गया है। जहॉ तक विवादित पटटे की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न है तो पंचायत समिति चौथ का बरवाडा एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर दोनो पक्षकारान को ख.न. 1338/1995 किस्म गै0मु0 आबादी में ग्राम पंचायत महापुरा द्वारा पटटा जारी किया है। अप्रार्थी नानगी देवी ने मौके पर 32.4X70.4 फिट पर 2 कमरे, जानवरों के लिए चारा रखने की जगह टीन डालकर बना रखी है शेष भाग में नींव खुदाई कर जमीन से 1.5 फिट उंचाई तक निर्माण कर रखा है। दोनो पक्षकारान के मध्य मौके पर 14 फिट भूमि को लेकर विवाद है जिसपर नानगी देवी द्वारा कई वर्षो से निर्माण कर उपयोग लिया जा रहा है। न्यायालय के निर्देशानुसार पक्षकारान को अपने अपने पटटे की भूमि माप कर पंचायत एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर चिन्हित करवायी जाकर बतायी जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की कब्जेशुद्वा भूमि पर ही पटटा जारी किया जाना पाया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.7.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर